

# न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

82 / 2018

प्रविष्टि दिनांक

15.11.2018

भूपेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी नानेर तहसील पीपलू जिला टोंक राज०

—अपीलांट

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला—टोंक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय

तहसीलदार पीपलू दिनांक 30.05.2018 मिसल नम्बर 1379 / 2018

उपस्थिति : (1) श्री विवके चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री मजहर आलम,, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 16.02.2023

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपलू ने अपने निर्णय दिनांक 30.05.2018 के द्वारा अपीलांट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 11 बिस्वा किस्म गै०मु० रास्ता वाके ग्राम नानेर तहसील पीपलू में राजकीय भूमि पर मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 4/रू. पेनल्टी कायम की गई है। अपीलांट ने तहसीलदार पीपलू के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने दिनांक 30.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करने पर अपीलांट को साक्ष्य—सबूत पेश करने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.06.2018 नियत की गई थी। दिनांक 07.06.2018 को अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है, परन्तु पीठासीन अधिकारी (तहसीलदार)जी को टोंक जाना बता कर रीडर साहब द्वारा पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिये जाने एवं तारीख पेशी की सूचना दिये जाने बाबत अपीलांट को कहाँ था। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो तारीख पेशी की सूचना दी और ना ही पत्रावली में आगामी तारीख पेशी नियत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2018 को ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के साथ—साथ अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग भी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट गलत है। अपीलांट का गै०मु० रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट का जिस स्थान पर मकान व बाडा बना हुआ



जिला कलेक्टर  
टोंक

है, उस भूमि/स्थान का अपीलांत के पिता नारायण सिंह के नाम ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है और उस भूमि पर ही अपीलांत ने अपना रिहायशी मकान बना रखा है। मकान में बिजली का कनेक्शन भी है और ग्राम पंचायत द्वारा भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रखा है। वर्तमान नक्शा शीट में जिस स्थान पर गै0मु0 रास्ता आ0ख0नं0 625 में दर्शा रखा है वहां मौके पर गत 40 वर्षों से कोई रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और ना ही मौके का निरीक्षण किया गया। अतः अपील अपीलांत स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्त को विवादित भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 11 बिस्वा, किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम नानेर तहसील पीपलू में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर मकान व बाड़ा बनाने पर तहसीलदार पीपलू द्वारा भूमि से बेदखल कर, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय कि पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांत को साक्ष्य-सबूत पेश करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने तारीख पेशी दिनांक 07.06.2018 नियत कर पत्रावली का निर्णय दिनांक 30.05.2018 को किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। अतः प्रकरण को पुनः विधिवत तरीके से सुनवाई करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।


विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलांत की ओर से लेखराज की तामील हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्त द्वारा भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 1 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम नानेर तहसील पीपलू पर अतिक्रमण कर मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्ध है।

अभिभाषक अपीलांत का कथन है कि अपीलांत को साक्ष्य-सबूत पेश करने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.06.2018 नियत करने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2018 को ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। अभिभाषक अपीलांत के कथन पर राजकीय अभिभाषक ने भी सहमति प्रदान की है। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार पीपलू द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.05.2018 अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार पीपलू को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि समस्त रिकार्ड व मौके की जांच कर तथा अपीलान्त को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(चिन्मयी गोपाल)  
जिला कलेक्टर  
टॉक